

एक नए झफर की ओर चलते - चलते

- सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया कार्मिक विभाग द्वारा सेपरेशन आर्डर निर्गत करने के साथ ही आरंभ होती है। सेपरेशन आर्डर निर्गत होने के पश्चात् P.F, Gratuity, SESBF के दावा पत्र पूर्णरूपेण भरकर विभागाध्यक्ष से अग्रसारित कराकर संबंध कार्मिक विभाग को जमा करना होता है।
- सेवानिवृत्ति माह के 20 तारीख तक आपको अपने सेवानिवृत्ति माह की उपस्थिति बायोमेट्रीक अटेंडेंस सिस्टम में अपने विभागीय अधिकारी द्वारा दर्ज कराकर अवश्य सुनिश्चित करवा लेना है।
- PF और SESBF का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि को किया जाता है। नगर प्रशासन विभाग से आपका Quarter Retention Order/NoC समय से प्राप्त हो जाने पर Gratuity और छुट्टी के बदले भुगतान भी आपको सेवानिवृत्ति की तिथि को किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा

- सेवानिवृत्ति के पश्चात् कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधा संचालित अस्पताल में -निःशुल्क अथवा मेडिकलेम का प्रावधान है।
- सर्वप्रथम आपको दी गई आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित सभी स्तंभों को भरकर नियंत्रण अधिकारी से अग्रसारित करा लें। कर्मचारी एवं उनके आश्रितों के नाम से निर्गत नीले रंग की चिकित्सा पुस्तिकाओं को शॉप कार्मिक अधिकारी से रद्द करवाकर चिकित्सा पुस्तिका निर्गत फार्म का आवश्यक सत्यापन करवा लें। सत्यापन के पश्चात् फार्म, आवश्यक दस्तावेजों के साथ फाइनल सेटलमेन्ट सेल कार्यालय में सेवानिवृत्ति माह के 20 तारीख तक जमा कर देना है।
- इसके साथ यदि आप मेडिकलेम की सदस्यता हेतु इच्छुक हैं तो आपको विहित प्रपत्र (फाइनल सेटलमेन्ट सेल से प्राप्त कर) में आवेदन करना होता है। इसके साथ आधार कार्ड की प्रति, रद्द किया हुआ चेक तथा सेपरेशन आर्डर की प्रति भी संलग्न करनी है। प्रीमियम की राशि चालु वर्ष (2025-26) के लिए निम्नलिखित है :

माह	जुलाई 25	अगस्त 25	सितम्बर 25	अक्टूबर 25	नवम्बर 25	दिसम्बर 25	जनवरी 26	फरवरी 26	मार्च 26	अप्रैल 26	मई 26	जून 26	जुलाई 26
प्रीमियम (प्रति सदस्य) रूपये	10011	9435	8585	7762	6912	6089	5239	4388	3620	2770	1947	1097	274

- आपके और आपके पति/पत्नी की चिकित्सा पुस्तिका विदाई समारोह के समय आपको सौंप दिया जाएगा।

(नोट : मेडिकलेम फॉर्म भरकर माह के 24 तारीख तक फाइनल सेटलमेन्ट सेल में जमा करें अन्यथा उसके बाद आपको मेडिकलेम सदस्यता के लिए प्रीमियम राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट बनाना अनिवार्य होगा।)

कंपनी के आवास को अपने अधीन रखना

आवास रखने की अनुमति सक्षम पदाधिकारी द्वारा वैध कारणों से एक सीमित अवधि के लिए प्रदान की जाती है। कंपनी के आवास को अपने अधीन रखने हेतु आप सेपरेशन आर्डर प्राप्त होने के पश्चात् नगर प्रशासन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आवास रखने की अवधि में आवास का किराया निम्नांकित है :

➤ प्रतिधारण (Retention) की अवधि

आवास का प्रकार	आवास प्रतिधारण (Retention) की स्वीकार्य अवधि
सभी प्रकार	दो माह की रियायत अवधि जोड़ 22 माह Retention अर्थात् सेवानिवृत्ति की तारीख से कुल 24 माह। वी प्रकार के आवास में एक वर्ष के लिए Retention की अनुमति दी जाती है।

➤ शुल्क

आवास का प्रकार	जमानत की राशि
“बी” प्रकार	रुपये 5,00,000/-।
“सी” प्रकार	रुपये 4,00,000/-।
“डी” प्रकार	रुपये 3,00,000/-।
“ई” प्रकार	रुपये 2,00,000/-।

आवास Retention के लिए कर्मियों को उक्त राशि तथा दो वर्ष के लिए मकान भाड़ा तथा बिजली भाड़ा के बराबर की राशि का बैंक ड्राफ्ट और एक सेवारत कर्मचारी का जमानत भी देना होगा जिसकी वार्धक्य निवृत्ति की तारीख उस कर्मचारी के वार्धक्य निवृत्ति की तारीख से कम से कम पाँच वर्ष बाद हो, जिसके लिए वह जमानत दे रहा है।

सेवांत यात्रा भत्ता बिल (TA Bill)

I. पूर्व कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपने घोषित गृह स्थान या भारत में कहीं भी सेटल हो सकते हैं और इसके लिए स्वयं तथा सेपरेशन ऑर्डर में वर्णित आश्रितों के लिए पात्रता के अनुसार दावा कर सकते हैं।

II. घरेलु सामान ले जाने के संबंध में

Grade	From Specific Location	From Other Location
E-7 & above	Rs.50/- per KM	Rs.45/- per KM
E-0 to E-6	Rs.45/- per KM	Rs.40/- per KM
Non-Exec.	Rs.40/- per KM	Rs.30/- per KM

III. पैकेजिंग चार्ज

Chairman / Director	Actual
E - 7 to E - 9	Rs. 18000/-
E - 0 to E - 6	Rs. 14000/-
Non-Exec.	Rs. 10000/-

यदि घोषित गृह स्थान के अतिरिक्त किस अन्य स्थान के लिए सेवांत यात्रा भत्ता बिल का दावा किया जा रहा है तो वह पता किसी अन्य प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कि सेल मेडिकलेम योजना या सेल पेंशन योजना में अंकित होना चाहिए।

NPS Exit

NPS Exit की प्रक्रिया आप सेवानिवृत्ति माह के तीन माह पूर्व प्रारंभ कर सकते हैं। जिसके लिए आप <http://cra-nsdl.com> या <http://nps.kfintech.com> पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो फाइनल सेटलमेन्ट सेल में अवस्थित Help-Desks में आकर संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क संख्या

किसी भी प्रकार की जानकारी दूरभाष संख्या 06542-240273 या ई-मेल bko_fsc@yahoo.co.in पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।